

आदेश

इस कार्यालय के आदेश पृ० क्रमांक ई-2/07-15 दिनांक 03.04.2026 द्वारा जारी आदेशों की क्रम सं० 6 पर श्री टिंकू वन दरोगा के वन्य प्राणी निरीक्षक, पंचकूला के कार्यालय में लगाई गई अतिरिक्त ड्यूटी को तुरन्त प्रभाव से रद्द किया जाता है।

दिनांक : 04.05.2026

के० सी० मीणा, भा० व० से,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्र०:-ई-2/ 255-56

दिनांक:- 5/5/26

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. विशेष कार्यकारी अधिकारी/माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा को उनके कार्यालय के डिस्पैच नं० 15132 दिनांक 15.04.2026 तथा ई-मेल दिनांक 30.04.2026 के संदर्भ में।
2. वरिष्ठ सचिव/माननीय वन मंत्री, हरियाणा।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, हरियाणा पंचकूला।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), हरियाणा, पंचकूला।
5. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), हरियाणा, पंचकूला।
6. वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला।
7. वन मण्डल अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
8. मण्डलीय वन्यजीव अधिकारी, पंचकूला।
9. निजी सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, हरियाणा, पंचकूला को विशेष कार्यकारी अधिकारी/माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा को ई-मेल करने हेतु।
10. एम०आई०एस० शाखा, निदेशालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. श्री टिंकू वन दरोगा द्वारा वन मण्डल अधिकारी, कुरुक्षेत्र।



अधीक्षक प्रशासन,

कृते०: प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।